(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

E-mail: dagri@sansand.nic.in

Dated: 22/02/2023

NOTIFICATION

No. F. 8(23)/2016/DAM/MR/Pt.-III/ 1711 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Sh. Mahender Kumar Sanpal (Pappa), R/o 197, Vaishali, Pitampura, Delhi-110034, as a member of the Delhi Agricultural Marketing Board, on his being elected from the category of traders and commission agents licensed under Section 80, with immediate effect.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> (Neha Bansal), IAS Special Secretary (AM)

No. F. 8(23)/2016/DAM/MR/Pt.-III/ 1712 - 1726

Copy to:-

- 1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
- 2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi
- 4. The Principal Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
- 7. Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 8. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 9. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11. The Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi, Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur, Delhi & Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi.
- 12. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- 13 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 14 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

15 Guard file.

(NEHA BANSAL), IAS SPECIAL SECRETARY (AM)

Dated: 29/02/2023

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग—4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

ई-मेल : dagri@sansad.nic.in

दिनांक: 22/02/2023

अधिसूचना

सं. एफ 8(23)/2016/डी०ए०एम०/एम०आर०/भाग—।।।/1711 दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप—राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, श्री महेंदर कुमार सन्पाल (पप्पा), निवासी 197, वैशाली, पीतमपुरा, दिल्ली—110034, को धारा 80 के अन्तर्गत तुरंत प्रभाव से, लाइसेंस प्राप्त व्यापरियों तथा कमीशन एजेंटों वर्ग से निर्वाचित हुए सदस्य को दिल्ली कृषि विपणन परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

> (नेहा बंसल), भा०प्र०से० विशेष सचिव (कृ०वि०)

सं. एफ 8(23)/2016/डी०ए०एम०/एम०आर०/भाग-।।।/1712 - 17-26 दिनांक : 29/02/2023 प्रतिलिप:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 5 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 11 सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति, एमएनआई, आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर, शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली, पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली।
- 12 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग—4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- 13 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 14 संवंधित विपणन सिमिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन सिमिति के सिचव के माध्यम से।

15 गार्ड फाईल।

(नेहा बंसल), भा०प्र०से० विशेष सचिव (कृ०वि०)